PAN No. AAATB0431G

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

भोपाल शाखा कार्यालय : 'मानकालय', ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल-462016 (म.प्र.)
BHOPAL BRANCH OFFICE : 'Manakalaya', E-5, Arera Colony, Bittan Market, Bhopal-462016 (M.P.)

दूरभाष / Tel.: 2423449, 2423452, 2423454, 2420493, 2442550
तार : मानकसंस्था / Gram : Manaksanstha
ई-मेल / E-mail : bplbo@bis.org.in
फैक्स / Fax : (0755) 2423451, वेबसाइट/Website : www.bis.org.in

Soft copy download of Indian Standards now available from BIS sales portal http:// www.standardsbis.in

BIS offers complete training solution for Standards and Management Systems. For details see http:// www.bis.org.in or e-mail at nits@bis.org.in

सन्दर्भ/ बीपि बीऔ/इऐनऍफ़

3rd जून 2019

जाली आइएसआइ मार्क लगे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण करने वाली फैक्ट्री पर छपा

श्रीमती प्रीति भटनागर, प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.), भोपाल सखा कार्यालय की निर्देशानुसार ब्यूरो के अधिकारीयों ने 31/ मई/ 2019 को मेसर्स एस एस एक्वा मिनरल वाटर, एस -18, उद्योग विहार, चोरहटा, रीवा, मध्य प्रदेश, पर तलाशी एवं जप्ती कार्यवाही करते हुए जाली आइएसआइ मार्क लगे लेबल्स (जोकि एमल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में व्यव्हार होती हे), LDPE पाउच फिल्म के रोल्स एवं विक्रय के रिकार्ड्स की जप्ती की । प्रकरण में अभी दोषियों के किरुद्ध वेधानीक कार्यवाही की जाएगी |

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत आइएसआइ मार्क का दुरपयोग करना दंडनीय अपराध हे एवं धारा 29 के तहत 2 वर्ष का कारावाश अथवा न्यूनतम 2 लाख का जुरमाना अथवा दोनों दंड का प्रावधान हे |

उपभोक्ताओं से अनुरोध हे की वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कराया करते समय उत्पाद पर सही आइएसआइ मार्क देखें एवं क्रय सम्भन्धि बील अवश्य प्राप्त करें | आइएसआइ मार्क वस्तुएं की गुणता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर की जा सकती है ।

3/6/19

ए. के. कनार
A. K. KANAR
वैज्ञानिक - सी / Scientist-C
भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल
Bureau of Indian Standards, Bhopal

F/ Head BIS Bhopal.

Scanned by CamScanner